न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—मुनिदेव यादव आर.ए.एस.
प्रकरण स0ः—96/20
हरीराम आयु 50 साल पुत्र स्व0 रामचरन जाति गुर्जर नि0 भगोरा तह0 वैर।
गोविंद आयु 42 साल पुत्र स्व0 रामचरन जाति गुर्जर नि0 भगोरा तह0 वैर।
राजेंद्र आयु 38 साल पुत्र स्व0 रामचरन जाति गुर्जर नि0 भगोरा तह0 वैर।

—वादीगण

बनाम

बंसता पुत्र लज्जा गुर्जर जाति गुर्जर नि0 भगोरा तह0 वैर।
बरफी पत्नी समय सिंह जाति गुर्जर नि0 भगोरा तह0 वैर।
राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वैर।

—प्रतिवादीगण असल

सियाराम आयु 50 साल पुत्र दूल्हेराम जाति गूजर नि0 भगोरा तह0 वैर।
सेढू उर्फ चेती आयु 45 साल पुत्र दूल्हेराम जाति गूजर नि0 भगोरा तह0 वैर।

—तरतीवी प्रविवादीगण

—दावा डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—
वादीगण की ओर से श्री शिवचरनलाल धाकड, श्री राजेश सैनी एडवोकेट।
प्रतिवादी 1व 2 की ओर से श्री दशरथ सिंह एडवोकेट।

निर्णय

दिनांक 08.03.2022

वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् दिनांक 10.09.2020 को न्यायालय के समक्ष पेश हुआ जिसे दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये दावा के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है। आराजी ख0न0 पुराना 373/2 रकवा 14 विस्वा जिसका नया न0 511 रकवा 0.1100 हैक्टे0 वाके ग्राम भगोरा तह0 वैर में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 वंसता 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 बरफी 1/5 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्से के तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 सियाराम व सेढू उर्फ चेती खातेदार काश्तकार थे। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मिलकर अपना 4/5 ,1/5 हिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता स्व0 रामचरन पुत्र प्यारेलाल जाति गूजर नि0 भगोरा को दिनांक 23.09.2009 को जरिये रजि0 वयनामा विक्रय कर उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर मुताविक कब्जा वादीगण के पिता रामचरन को दे दिया था। तभी से वादीगण के पिता व वादीगण उक्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं

काबिज आराजी हैं एवं उक्त वयनामा का नामांतकरण संख्या 1510 को पटवारी हल्का द्वारा प्रविष्टि करते समय सहवन से वंसता पुत्र लज्जा को 1/2 हिस्से का खातेदार बतलाते हुए 1/2 हिस्से का इतकाल तहरीर कर दिया। जबकि वंसता भाग 4/5 हिस्से का खातेदार था और वयनामा में अंकित 1/5 हिस्से के खातेदार बरफी वेवा समय सिह का इंतकाल में अंकित नहीं किया। जबकि उक्त इंतकाल में प्रविष्टि करते समय इंतकाल के कालम न0 7 व 9 में वंसता पुत्र लज्जा 4/5 हिस्सा व बरफी वेवा समय सिंह 1/5 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा वयनामा व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार प्रविष्टि करनी चाहिये थी जो कि नही की है। उक्त गलत प्रविष्टि के आधार पर उक्त इंतकाल संख्या 1510 को दिनांक 10.12.2009 को तश्दीक करते हुए तत्कालीन पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गलत अंकन कर दिया है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त इंद्राज को सही करने बाबत् पटवारी हल्का व तहसीलदार सहाब वैर से कहा तो उन्होनें सही करने से मना कर दिया इस कारण न्यायालय के समक्ष यह वाद पेश हुआ। अंत में वादी ने अपने वादपत्र में यह प्रार्थना चाही की यह घोषित फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 पुराना 373/2 रकवा 14 विस्वा जिसका नया ख0न0 511 रकवा 0.1100 हैक्टे0 वाके ग्राम भगोरा तह0 वैर में वयनामा तारीखी 23.09.2009 के आधार पर प्रतिवादी वंसता 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी बरफी के 1/5 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा के खातेदार व काबिज आराजी हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हो रहे गलत इंद्राज को कलम किया जाकर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित फरमाया जावे एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। कि वे वादीगण के 1/2 हिस्से में मदाखलत व मजाहमत व बेचान नहीं करे।

उक्त वाद में दिनांक 24.11.2021 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। एवं राज0 सरकार की ओर से तहसीलदार वैर हाजिर हैं। एवं असल प्रतिवादीगण एवं वादीगण ने उक्त वाद में दिनांक 09.11.2021 को राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक किया गया। तथा वादीगण की शिनाख्त श्री शिवचरन लाल धाकड एडवोकेट ने एवं प्रतिवादीगण बंसता की शिनाख्त दशरथ सिंह एडवोकेट ने की एवं प्रतिवादी संख्या 2 बरफी की ओर से राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के पश्चात प्रकरण बहस अंतिम में लगाया गया। बहस अंतिम में लगाने के पश्चात दिनांक 08.03.2022 को बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। एवं संलग्न राजस्व रिकार्ड का भी अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि विक्रय पत्र तारीखी 23.09.2009 के मुताविक वादीगण के पिता रामचरन ने विवादित आराजी के 1/2 हिस्से को बंसता व बरफी से खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं नामांतकरण संख्या 1510 में राजस्व कर्मचारियों की गलती से कॉलम न0 7 में बरफी का नाम व हिस्सा छोडकर बंसता का ही 1/2 हिस्सा लिख दिया है। जिसे सही करने एवं अपने आप को खातेदार घोषित कराने के लिए उक्त

वाद पत्र वादीगण की ओर से पेश हुआ जिसकी ताइद करते हुए पक्षकारान ने दिनांक 09.11.2021 को राजीनामा पेश किया। जिसे सही होना मानकर सुन व समझकर पक्षकारान ने सही होना स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में मैं उक्त वाद–पत्र को डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ। एवं वादीगण को नया ख0न0 511 रकवा 0.1100है0 वाके ग्राम भगोरा तह0 वैर में प्रतिवादीगण बंसता के 4/5 हिस्सा व बरफी के 1/5 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा से खातेदार काश्तकार व काबिज होना घोषित किया जाता है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पाबंद किये जाने की प्रार्थना को भी स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादीगण का वाद निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

यह घोषित फरमाया जाता है कि आराजी ख0न0 511 रकवा 0.1100है0 वाके ग्राम भगोरा तह0 वैर की 1/2 हिस्से से प्रतिवादी बंसता के 4/5 हिस्से को व प्रतिवादी बरफी के 1/5 हिस्से से उनकी खातेदारी काश्तकारी कलमजन की जाकर वादीगण वाहिस्सा बराबर रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। एंव राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार वादीगण का समान भाग में अंकन किया जावे एवं साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के 1/2 हिस्से में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान ने अपना–अपना वहन कर लिया है।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
वैर, भरतपुर